हिंदी कार्य के लिए प्रोत्साहन योजना तथा अन्य राजभाषा पुरस्कार योजनाएँ

तुलसीदास पुरस्कार योजना - सम्पूर्ण कार्य हिंदी में करने के लिए पुरस्कार योजना। इस योजना के तहत यूनिटों / एसबीयू / सीआरएल / कार्पोरेट कार्यालय (क्षे.का. तथा विपणन केन्द्रों सहित) में उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने वाले सर्वोच्च एक (1) कर्मचारी को ` 10,000/- का पुरस्कार ।

प्रेमचंद पुरस्कार योजना - हिंदी में कार्य करने के लिए कार्यपालकों तथा गैर-कार्यपालकों के लिए अलग-अलग पुरस्कार योजना ।

प्रथम पुरस्कार	2 पुरस्कार	2 पुरस्कार	7000/- प्रत्येक
द्वितीय पुरस्कार	2 पुरस्कार	2 पुरस्कार	6000/- प्रत्येक
तृतीय पुरस्कार	2 पुरस्कार	2 पुरस्कार	5000/- प्रत्येक

कबीर पुरस्कार योजना (प्रेरणा देने वाले ऐसे अधिकारियों के लिए पुरस्कार जो हिन्दी में पृष्ठांकन / हस्ताक्षर / टिप्पणी लिखते हैं और अपने **प्रभाग/विभाग** में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करते हैं**) कबीर पुरस्कार योजना** उप महाप्रबंधक और इससे ऊपर की श्रेणी के कार्यपालकों पर लागू है ।

जयशंकर प्रसाद प्रोत्साहन योजना - कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नकद पुरस्कार योजना)
इसके तहत प्रभाग / विभाग में मूल रूप से हिन्दी में किए गए कार्य जैसे टिप्पण व आलेखन, पृष्ठांकन, पत्राचार, कंप्यूटरों पर किए गए कार्य, रजिस्टरों में प्रविष्टियाँ, सूचियाँ तैयार करना, हिन्दी में प्रस्तुतीकरण, लेखा कार्य आदि जिन्हें सत्यापित किया जा सकता है, को हिसाब में लिया जाएगा। इसके ब्यौरे संलग्नक-1 में दिए गए हैं । कुछ कार्य पूरी तरह हिन्दी में किए जा सकते हैं और कुछ कार्य आंशिक रूप से हिन्दी में किए जा सकते हैं ।

7.4 **नकद पुरस्कार-**

ये नकद पुरस्कार प्रत्येक वर्ष, भाग लेने वालों द्वारा हिन्दी में किए गए कार्य के अनुसार, प्रत्येक यूनिट / एसबीयू / सीआरएल/कार्पोरेट कार्यालय (क्षे.का. और विपणन केन्द्र सहित) द्वारा इस प्रकार दिए जाएँगे -

रैंकिंग सूची में प्रथम 25% प्रतिभागी	` 4000
रैंकिंग सूची में द्वितीय 25% प्रतिभागी	` 3500
रैंकिंग सूची में तृतीय 25% प्रतिभागी	` 3000
शेष सभी जो अर्हता प्राप्त करते हैं और पुरस्कृत किए जाने के लिए पात्र पाए जाते हैं	` 2000

8.0 कबीर पुरस्कार योजना (प्रेरकों के लिए पुरस्कार)

8.1 **अनुप्रयोज्यता -** यह योजना प्रेरणास्रोत के रूप में उप महाप्रबंधक और इससे ऊपर की श्रेणी के कार्यपालकों पर लागू है ।

8.2 वित्तीय वर्ष में हिन्दी में किए गए कार्य

हिन्दी में किए गए कार्य जैसे फाइलों/दस्तावेजों पर पृष्ठांकन/हस्ताक्षर, टिप्पण/आलेखन/डिक्टेशन/पत्राचार आदि की शब्द संख्या का निर्धारण प्राथमिक रूप से प्राप्त प्रविष्टियों (संलग्नक 2 के अनुसार) के तुलनात्मक मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा । प्रभाग / विभाग में स्वयं तथा अन्य सदस्यों द्वारा राजभाषा नीतियों का अनुपालन/द्विभाषीकरण/प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएँ/हिन्दी कार्यक्रमों/प्रोत्साहन योजनाओं में सहभागिता, विभाग में नियम 8(4) के तहत जारी आदेशों का कार्यान्वयन तथा प्रभाग / विभाग में हिन्दी में कामकाज का अनुकूल माहौल पैदा करना जैसे कार्यकलापों पर भी विचार किया जाएगा । राभाकास की कोर समितियों द्वारा संचालित विभागों के निरीक्षण रिपोर्ट पर भी मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया जाएगा ।

8.3 **नकद पुरस्कार -**

प्रत्येक यूनिट / एसबीयू / सीआरएल / कार्पोरेट कार्यालय (क्षे.का. और विपणन केन्द्र सहित) द्वारा वार्षिक रूप से ` 10,000/- का एक **कबीर** पुरस्कार दिया जाएगा ।

9.0 **<u>इस योजनाओं के तहत पुरस्कार देने की प्रक्रिया -</u>**

9.1 **योजनाओं के तहत "मूल्यांकन समिति" का गठन -**

9.2 प्रत्येक यूनिट / एसबीयू / सीआरएल और कार्पोरेट कार्यालय में मूल्यांकन करने और पुरस्कार प्रदान करने के लिए एक मूल्यांकन समिति गठित की जाएगी । मूल्यांकन समिति का गठन इस प्रकार होगा -

i) यूनिट प्रमुख - अध्यक्ष
ii) मा.सं. प्रमुख अथवा अधिकारी जिन्हें यूनिट में राजभाषा संबंधी कार्यकलाप करने का काम सौंपा गया है- सदस्य
iii) राभाकास के सदस्य / वरिष्ठ कार्यपालक जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता है - सदस्य
iv) वित्त के प्रतिनिधि - सदस्य
v) राजभाषा अधिकारी / राजभाषा प्रभारी - सदस्य सचिव

9.3 इस योजना में भाग लेने वाले कर्मचारी संलग्न प्रोफार्मा (परिशिष्ट-क) में प्रत्येक माह उनके द्वारा हिन्दी में लिखे गए शब्दों का रिकार्ड रखेंगे । उनके अगले उच्चतर अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह के रिकार्ड का सत्यापन किया जाएगा और प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा । वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हिन्दी में किए गए कार्यों का रिकार्ड पीए / पीएस रखें ।

9.4 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, प्रत्येक प्रतिभागी संलग्नक-1 में दिए गए निर्धारित फार्मेट में प्रभागीय प्रमुख के माध्यम से, उनके द्वारा वार्षिक रूप से हिन्दी में किए गए कार्य का समेकित रिकार्ड मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत करेंगे ।

9.5 **तुलसीदास, प्रेमचंद** और **जयशंकर प्रसाद** योजनाओं के लिए मूल्यांकन का आधार -

शब्द संख्या	**कार्य की मौलिकता***	**कार्य की गुणता**	**कार्य की गुणता पर महत्ता**
1	**2**	**3**	**4**
30 अंक	30 अंक	30 अंक	अधिकतम 10 अंक

* ऐसे कार्य जिनमें पुनरावृत्ति कम हो

9.5.1 **जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है उनके लिए कार्य की गुणता पर महत्ता** - विचार किए जाने के लिए मानदंड निम्नलिखित है जो कार्य की गुणता निर्धारित करेंगे या उसे प्रभावित करेंगे -

क्र.	**मानदंड**	**कारक**	**यहाँ तक**
1	जिनकी मातृभाषा इस राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत है	ख क्षेत्र	15%
		ग क्षेत्र	20%
2	हिन्दी ज्ञान का स्तर	कार्यसाधक ज्ञान	15%
		प्रवीणता	10 %

नोट-

(i) कर्मचारी को अधिकतम 10 अंकों की महत्ता दी जा सकती है ।

(ii) कर्मचारी को मातृभाषा और हिन्दी ज्ञान का स्तर दोनों के लिए महत्ता दी जा सकती है ।
(iii) कर्मचारी को कार्यसाधक ज्ञान अथवा प्रवीणता, दोनों में से कोई एक हो सकता है ।
(iv) यदि कर्मचारी उत्तरी यूनिटों में कार्य कर चुके हैं और इस प्रकार वे हिन्दी में बेहतर कार्य करने में सक्षम हैं, तो उनकी मातृभाषा से संबंध न रखते हुए कुछ सीमा तक महत्ता के प्रतिशत को कम किया जा सकता है ।

9.5.2 **उदाहरण**

9.5.3 **उदाहरण 1** - कोटद्वार यूनिट में एक कर्मचारी जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता है और जिनकी मातृभाषा तेलुगु है, द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान हिन्दी में किए गए कार्य की कुल शब्द संख्या 18000 है ।

टेबल 7.2 के अनुसार उनकी प्रविष्टि पर जयशंकर प्रसाद प्रोत्साहन योजना हेतु विचार किया जा सकता है । यदि उन्हें, मान लें कि गुणता के लिए 25 अंक दिए जाते हैं, तो उन्हें दी जाने वाली महत्ता, प्रवीणता रखने के लिए 25 अंकों का अधिकतम 10% तथा ग क्षेत्र की मातृभाषा के रूप में 25 अंकों का 20% होगी, जो कि टेबल 9.5 के कॉलम 4 में दिए जाने वाले अंक का अधिकतम 7.5 होगा ।

9.5.4 **उदाहरण 2** - बेंगलूर यूनिट में एक कार्यपालक जिनकी मातृभाषा पंजाबी है और उन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान हिन्दी में किए गए कार्य की कुल शब्द संख्या 12000 है ।

टेबल 6.2 के अनुसार उनकी प्रविष्टि पर प्रेमचंद प्रोत्साहन योजना के लिए विचार किया जा सकता है । यदि उन्हें, मान लें कि गुणता के लिए 27 अंक दिए जाते हैं, तो उन्हें दी जाने वाली महत्ता, ख क्षेत्र की मातृभाषा के रूप में 27 अंकों का अधिकतम 15% तथा प्रवीणता रखने के लिए 27 अंकों का 10% होगी, जो कि टेबल 9.5 के कॉलम 4 में दिए जाने वाले अंक का अधिकतम 6.75 होगा ।

9.6 योजना के लिए किसी प्रतिभागी द्वारा आवश्यक शब्द संख्या प्रस्तुत करने के बावजूद, यदि मूल्यांकन समिति यह पाती है कि कार्य की गुणता किसी योजना विशेष के लिए पुरस्कार के योग्य नहीं है तो पैरा 3.0 के (i), (ii) तथा (iii) के क्रम में अन्य उपयुक्त योजनाओं के अंतर्गत प्रतिभागी की प्रविष्टि पर विचार किया जा सकता है । यदि किसी योजना के लिए पर्याप्त संख्या में प्रविष्टियाँ प्राप्त नहीं होती हैं तो निर्धारित संख्या से कम पुरस्कार दिए जा सकते हैं । केवल शब्द संख्या के आधार पर पात्र होने पर या इस आधार पर कि किसी विशेष योजना के लिए कुछेक प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई हैं, कोई प्रतिभागी किसी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किए जाने के लिए हकदार नहीं होंगे । प्रमात्रा एवं गुणता, कार्य की पुनरावृत्ति न होने की प्रकृति के आधार पर कार्यपालकों / गैर-कार्यपालकों की तुलनात्मक रैंकिंग, इन योजनाओं के तहत पुरस्कार प्रदान करने के लिए निर्णायक कारक होंगे ।

9.7 मूल्यांकन समिति इन योजनाओं के अंतर्गत पुरस्कार मंजूर करने के लिए अपनी सिफारिशें बें.का. के मामले में निदेशक (बें.का.) को, अन्य यूनिटों के मामले में निदेशक (अ.यू.) को, सीआरएल के मामले में निदेशक (अन. व वि.) को और कार्पोरेट (क्षे.का. और विपणन केन्द्र सहित) के मामले में निदेशक (मा.सं.) को भेजेंगी । मूल्यांकन समिति द्वारा अंतिम रूप से चयनित प्रविष्टियों का भौतिक सत्यापन भी किया जाना चाहिए ।

9.8 पुरस्कार जीतने का उल्लेख संबंधित कार्यपालक / गैर-कार्यपालक के सेवा अभिलेखों में - हिन्दी में किए गए सराहनीय कार्य के तहत भी किया जाएगा ।

9.9 पुरस्कार विजेताओं की सूची, संबंधित ब्यौरे सहित, मा.सं. प्रमुखों द्वारा कार्पोरेट कार्यालय को अग्रेषित की जाए । कार्पोरेट कार्यालय के राजभाषा अनुभाग में यूनिटों / कार्यालयों से प्राप्त आंकड़ों का समेकन किया जाएगा ओर समेकित स्थिति राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को पेश की जाएगी ।

9.10 इस योजना को क्रियान्वित करने का व्यय यूनिटों / कार्यालयों के संबंधित वार्षिक बजट आबंटनों द्वारा किया जाएगा ।

10.0 प्रबंधन जब और जैसे आवश्यक समझे, इन योजनाओं में परिवर्तन करने या संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

11.0 यह कार्यालय आदेश, पैरा 1.0 में उल्लिखित अनुसार, हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं पर इससे पहले जारी अन्य सभी कार्यालय आदेशों को अधिक्रमित करता है ।

12.0 उपरोक्त प्रोत्साहन योजनाएँ तत्काल रूप से प्रभावी होते हुए लागू होती हैं । वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान हिन्दी में किए गए कार्यों से प्रारंभ करते हुए प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जाएँ और उन पर कार्यवाही की जाए ।

13.0 अन्य राजभाषा पुरस्कार

14.0 कर्मचारियों के लिए - पुरस्कार / प्रमाण-पत्र हिन्दी दिवस समारोह के दौरान दिए जाएँ

15.0 भास्कराचार्य पुरस्कार योजना - हिन्दी में मौलिक पुस्तक लिखने के लिए

15.1 **मानदंड -** यह योजना रक्षा, इंजीनियरिंग, विपणन, अनु. व वि., वित्त, मानव संसाधन, गुणता, सतर्कता, राजभाषा, विधि, पर्यावरण, सीएसआर आदि से संबंधित विभिन्न विषयों पर हिन्दी में लिखी तकनीकी पुस्तकों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी कर्मचारियों पर लागू है ।

15.2 **पात्रता** - पुरस्कार के लिए पात्र बनने के लिए,हिन्दी में लिखी तकनीकी पुस्तकों की पृष्ठ संख्या कम से कम एक सौ होनी चाहिए । प्रविष्टियाँ कार्पोरेट राजभाषा विभाग को सॉफ्ट कॉपी में यूनिकोड में टंकित कर तथा मुद्रित रूप में भेजी जाएँ । इस प्रयोजनार्थ गठित मूल्यांकन समिति जिसमें आतंरिक एवं बाहरी सदस्य होंगे और इसकी अध्यक्षता राभाकास के सदस्य द्वारा की जाएगी, प्रत्येक वर्ष जुलाई माहांत से पहले पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त प्रविष्टियों का मूल्यांकन करेगी और पुरस्कारों को अंतिम रूप देगी ।

15.3 **नकद पुरस्कार** -इस वार्षिक पुरस्कार में प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कारों के रूप में क्रमश:` 20,000/-, ` 15,000 और ` 10,000/- की नकद राशि प्रदान की जाएगी ।

16.0 नागार्जुन पुरस्कार योजना - हिन्दी में तकनीकी पुस्तक लिखने के लिए

16.1 **मानदंड -** यह योजना रक्षा, इंजीनियरिंग, विपणन, अनु. व वि., वित्त, मानव संसाधन, गुणता, सतर्कता, राजभाषा, विधि, पर्यावरण, सीएसआर आदि से संबंधित विभिन्न विषयों पर हिन्दी में लिखे तकनीकी लेखों को प्रोत्साहित करने हेतु सभी कर्मचारियों के लिए लागू है ।

16.2 **पात्रता** - हिन्दी में लिखे तकनीकी लेख कार्पोरेट राजभाषा विभाग को सॉफ्ट कॉपी में यूनिकोड में टंकित कर तथा मुद्रित रूप में भेजे जाएँ । इस प्रयोजनार्थ गठित मूल्यांकन समिति जिसमें आतंरिक एवं बाहरी सदस्य होंगे और इसकी अध्यक्षता राभाकास के सदस्य द्वारा की जाएगी, प्रत्येक वर्ष जुलाई माहांत से पहले पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त प्रविष्टियों का मूल्यांकन करेगी और पुरस्कारों को अंतिम रूप देगी ।

16.3 **नकद पुरस्कार** - इस वार्षिक पुरस्कार में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कारों के रूप में क्रमश: ` 5,000/-, ` 3,000 और ` 2,500/- की नकद राशि प्रदान की जाएगी ।

17.0 हिन्दी में व्याख्यान देने / सत्र चलाने को प्रोत्साहित करने के लिए निराला योजना

17.1 **मानदंड** - यह योजना कंपनी के आंतरिक संकाय सदस्य को विभिन्न विषयों में हिन्दी में व्याख्यान देने / सत्र चलाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है ।

17.2 **पात्रता -** 'क' क्षेत्र में, व्याख्यान / सत्र हिन्दी भाषा में चलाए जाने चाहिए ।
'ख' क्षेत्र में, अधिकांश व्याख्यान / सत्र हिन्दी भाषा में चलाए जाने चाहिए ।
'ग' क्षेत्र में, व्याख्यान / सत्र हिन्दी और अंग्रेजी की मिली-जुली भाषा में चलाए जा सकते हैं ।

17.3 **प्रचालन की विधि** - जब कभी व्याख्यान देने के लिए आंतरिक संकाय सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है, अनिवार्य रूप से एक फार्मेट जिसमें भाषा का विकल्प - 'हिन्दी /अंग्रेजी' या 'मिली-जुली' हो प्राप्त किया जाए। लक्षित श्रोताओं का चयन (हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान/ हिन्दी में प्रवीणता होने संबंधी) तदनुसार

किया जा सकता है। यूनिटों में स्थिति सीएलडी/ मासंवि विभाग इस विकल्प को उचित रूप से शामिल करेंगे इस योजना का कार्यान्वयन सुकर बनाएँगे ।

17.4 **मानदेय** - क्षेत्र-वार अनुप्रयोज्यता के अनुसार हिन्दी में/ हिन्दी और अंग्रेजी की मिली-जुली भाषा में व्याख्यान देने/ सत्र चलाने के लिए 75 मिनट के प्रत्येक सत्र के लिए ` 500/- का मानदेय दिया जाएगा। ऐसे मानदेय की ऊपरी सीमा प्रति वर्ष ` 5000/- होगी ।

17.5 **प्रशिक्षण सामग्री एवं प्रस्तुतीकरण -** क्षेत्र / लक्षित श्रोताओं पर निर्भर करते हुए ऐसे व्याख्यानों / सत्रों के लिए लिखित सामग्री या प्रस्तुतीकरण हिन्दी में/द्विभाषी रूप में (हिन्दी-अंग्रेजी) होने चाहिए ।

18.0 कर्मचारियों के बच्चों के लिए पुरस्कार -

इस योजना के तहत क्षेत्र-वार प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार किया जाएगा । इसलिए क्षे.का. दिल्ली तथा दिल्ली के आस-पास स्थित कार्यालयों की प्रविष्टियाँ गा.बाद यूनिट को भेजी जाएँगी, क्षे.का. मुंबई की प्रविष्टियाँ नवी मुंबई यूनिट को भेजी जाएँगी, क्षे.का. कोलकाता की प्रविष्टियाँ कार्पोरेट को तथा क्षे.का. वैजाग की प्रविष्टियाँ है.बाद यूनिट को भेजी जाएँगी ।

18.1 माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार -

हिन्दी माध्यम के साथ कक्षा X / XII / डिग्री/ डिप्लोमा/स्नातकोत्तर स्तर में सर्वोच्च अंक अर्जित करने के लिए पुरस्कार -

प्रत्येक यूनिट/ एसबीयू/ सीआरएल तथा कार्पोरेट में कक्षा X / XII / डिग्री / डिप्लोमा/ स्नातकोत्तर के प्रत्येक स्तर में एक विद्यार्थी को ` 5000/- का नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र ।

18.2 मैथिलीशरण पुरस्कार -

कक्षा X / XII / डिग्री / डिप्लोमा/ स्नातकोत्तर स्तर में प्रथम/ द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी में सर्वोच्च अंक अर्जित करने के लिए पुरस्कार -

प्रत्येक यूनिट / एसबीयू / सीआरएल तथा कार्पोरेट में कक्षा X / XII / डिग्री / डिप्लोमा/ स्नातकोत्तर के प्रत्येक स्तर में एक विद्यार्थी को ` 3000/- का नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र ।

19.0 सामाजिक पुरस्कार -

ये पुरस्कार समग्र रूप से समाज के लिए आशयित हैं । यूनिट तथा कार्पोरेट कार्यालय की प्रत्येक राभाकास में गठित समिति ये ब्यौरे प्राप्त करेगी कि संभावित लाभान्वितों की पहचान किस प्रकार की जाए और उन तक कैसे पहुँचा जाए - जैसे संबंधित सरकारी महाविद्यालयों / संस्थानों के सूचना पट्ट / उनकी वेबसाइट में प्रदर्शित करना/ उनके विज्ञापनों में इस आशय की टिप्पणी शामिल करना । किसी भी समय-बिन्दु में, प्रत्येक योजना से किसी भी एक संस्थान के एक विद्यार्थी को किसी एक पाठ्यक्रम के लिए प्रत्येक यूनिट / कार्पोरेट कार्यालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रायोजन से इसका लाभ प्रदान किया जाएगा । केवल विनिर्दिष्ट अवधि के समापन / एक विद्यार्थी (19.3 के संदर्भ में 2) की छात्रवृति के समापन के बाद ही दूसरे विद्यार्थी को इसका लाभ प्रदान किया जाएगा ।

19.1 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की कौटिल्य छात्रवृति योजना -

'क' क्षेत्र स्थित यूनिटों द्वारा हिन्दी माध्यम से सीए / सीएस / आईसीडबल्यूए / एलएलबी / आयुर्वेद चिकित्सा-शास्त्र जैसे पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए एक सर्वोच्च प्रावीण्यता-प्राप्त छात्रा (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों सहित) जिसे अन्य कोई अनुलाभ / अनुदान प्राप्त नहीं है और जिसे ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए वित्तीय सहायता की ज़रूरत है, को वर्ष के शिक्षण शुल्क का प्रायोजन किया जाएगा ।

19.2 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की नालंदा छात्रवृति योजना -

'ख' और 'ग' क्षेत्र स्थित यूनिटों द्वारा प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्थान जैसे बाम्बे हिन्दी विद्यापीठ, हिन्दुस्तानी प्रचार सभा-बाम्बे, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा-पुणे, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति-वर्धा, गुजरात

विद्यापीठ-अहमदाबाद, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा समिति, मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद से हिन्दी में बी.एड (शिक्षा स्नातक) या उसके समकक्ष पाठ्यक्रम करने के लिए शुल्क अदा करने के लिए एक सर्वोच्च प्रावीण्यता-प्राप्त छात्रा (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों सहित) जिसे अन्य कोई अनुलाभ / अनुदान प्राप्त नहीं है और जिसे ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए वित्तीय सहायता की ज़रूरत है, को वर्ष के शिक्षण शुल्क का प्रायोजन किया जाएगा ।